न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 09/2020
दायर दिनांकः 13.03.2020
निर्णय दिनांक 12.05.2025

—: अनवान :—

दीपक चौहान पिता गुरूचरणसिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी बालातो की गुआर तहसील भीम, जिला राजसमंद **— प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम, वर्तमान पंचायत बालातो की गुआर जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बालातो की गुआर तहसील भीम, जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, तहसील भीम जिला राजसमंद

— गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश अधिनस्थ ग्राम पंचायत भीम वर्तमान ग्राम पंचायत बालातो की गुआर पंचायत समिति भीम द्वारा प्रार्थी निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 01.06.2017 को निरस्त करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 18.09.2019 से व्यथित होकर ।

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।(एकपक्षीय कार्यवाही)
3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02।

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश अधिनस्थ ग्राम पंचायत भीम वर्तमान ग्राम पंचायत बालातो की गुआर पंचायत समिति भीम द्वारा प्रार्थी निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 01.06.2017 को निरस्त करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 18.09.2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बालातो की गुआर की अन्दर हल्का आबादी में निगराकार के पक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत भीम द्वारा एक आबादी भुखण्ड का पट्टा संख्या 86 दिनांक 01.06.2017 को जारी किया गया था जिसका पंजियन कार्यालय उप पंजियक भीम के यहाँ पर दिनांक 12.10.2017 को किया गया है। उक्त जारी किये गये पट्टे के खसरा संख्या 16413/8289 किस्म आबादी होकर चतुर्दिशाई पडौस व नाप निम्न प्रकार है पूर्व नाप 60 फीट पडौस पड़त भूमि, पश्चिमः नाप 60 फीट पडौस पडत भुमि, उत्तरः नाप 30 फीट पडौस आम रास्ता, दक्षिणः नाप 60 फीट पडौस पड़त नर्सिग क्वाटर। उक्त पडौसो के मध्य स्थित भुखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा

निगराकार के पक्ष में जारी कर कार्यालय उप पंजियक भीम के यहाँ पर पंजीबद्ध करवाया गया है। उक्त पट्टे को तत्कालीन ग्राम पंचायत भीम द्वारा निगराकार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगेर ही बाले बाले ही तहसीलदार भीम के आदेश की पालना कर दिनांक 18.09.2019 को निरस्त करने का प्रस्ताव संख्या 07 पारित कर उक्त पट्टे को निरस्त किया गया है जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.09.2019 को पारित किया गया उक्त प्रस्ताव न केवल विधि के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व निगराकार को अपना पक्ष रखने का एवं सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया है। निगराकार को सुने बगेर ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो विधि अनुसार अपास्त होने योग्य है। विधि का यह भी सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक है लेकिन उक्त प्रकरण में न तो विधि के सिद्धान्तो की पालना की है न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना की है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त अनुसार भी निगराकार को उक्त आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई के लिए न तो नोटिस जारी किया है न ही उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार के पक्ष में दिनांक 01.06.2017 को जो पट्टा पालना करते हुऐ ही जारी किया है वह सम्पूर्ण नियमो की विधि अनुसार जारी किया गया है तथा विधि अनुसार जारी किये गये पट्टे का पंजियन भी ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार के पक्ष में उप पंजियक भीम के यहाँ पर करवाया गया है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा निरस्त करने की कानूनन कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.09.2019 को जो प्रस्ताव पारित किया गया है वह तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 16.09.2019 की अनुपालना में यह कार्यवाही की गई है। तहसीलदार भीम द्वारा इस संबंध में जो पत्र ग्राम पंचातय को प्रेषित किया है उसके प्रभाव में आकर निगराकार को सुने बगेर हो उक्त पट्टे को निरस्त करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है जो विधि के विपरित है। ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया प्रस्ताव ही विधि के विपरित होकर प्रारम्भ से ही अवैद्य है। ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव में दिनांक 18.09.2019 को कोरम ही नहीं था कोरम के अभाव में लिया गया प्रस्ताव विधि विरूद्ध है। उक्त दिनांक 18.09.2019 को आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में केवल सरपंच, सचिव, एवं एल डी सी तीन प्रतिनिधि ही मौजुद थे ओर इनकी उपस्थिति में सरपंच द्वारा अध्यक्षता कर उक्त प्रस्ताव पारित कर दिया गया जो विधि के विपरित है। यह बैठक भी केवल उक्त पट्टा निरस्त करने के उद्येश्य से तहसीलदार भीम के पत्र दिनांक 16.09.2019 के अनुसरण में बुलाकर बाले बाले ही अपने मनमकसूद तरीके से प्रस्ताव पारित कर दिया जो विधि के विपरित है। ग्राम पंचायत की बैठक से पूर्व कानूनन दो तिहाई सदस्यो की उपस्थिति होना आवश्यक है और यहाँ पर तो अकेले सरपंच ने अपनी अध्यक्षता में सचिव एवं एल डी सी को बुलाकर बैठक आहुत कर प्रस्ताव पारित कर दिया है जो विधि के विपरित है। निगराकार के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है उस पट्टे को ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव से निरस्त करना बताया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा एक बार पट्टा जारी कर देने के बाद उक्त पट्टे को निरस्त करने की अधिकारिता नहीं रहती है। ग्राम पंचायत ने बिना सुने ही उक्त पट्टे को निरस्त कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्व है। ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा आबादी भुमि का पट्टा पंचायती राज अधिनियम 1957 के तहत जारी कर दिये जाने के बाद एवं उसका पंजियन करा दिये जाने के बाद स्वयं द्वारा निरस्त करने का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होते हुऐ भी ग्राम पंचायत द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विधि के विरूद्ध स्वयं द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर दिया है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता भी प्रकट होती है तो ग्राम पंचायत पट्टे को निरस्त करने के लिए अपने से उच्च कोटी के अपीलीय न्यायालय अथवा निगरानी न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तत कर पट्टा निरस्त करवा सकती थी लेकिन अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा न कर विधि के सारवान तथ्यो के विपरित जाकर पट्टा निरस्त करने का जो प्रस्ताव लिया है वह किसी भी रूप में न्यायोचित व उचित नहीं है। निगराकार व उसके परिवारजन उक्त भुमि पर वर्षों से काबिज होकर निवास कर रहे है। पूर्व में पूराना मकान बना हुआ था जिसे गिरा कर उसी स्थान पर नया मकान बनाया है और आज भी इस वादग्रस्त भुमि में निवासरत है। प्रार्थी ने अपने कब्जे शुदा भुमि के संबध में पट्टा चाहने बाबत् किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने उक्त पट्टे शुदा भुमि के संबंध में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय भीम के यहाँ निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2019 को निगराकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुऐ मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की है कि प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 01.07.2017 में अंकित क्षेत्रफल व पडौस के मध्य स्थित मुखण्ड में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी को उक्त भुखण्ड से जबरन बेदखल नहीं करे। उक्त आदेश सिविल न्यायालय द्वारा जारी किया गया है जो आज भी प्रभावी है। उक्त आदेश पारित किये जाने के बाद तहसीलदार द्वारा उक्त पट्टो को निरस्त करने के लिए ग्रांम पंचायत को दिनांक 16.09.2019 को पत्र प्रेषित किया था। उक्त पत्र प्रेषित करने के अनुसरण में ग्राम पंचायत ने तहसीलदार भीम के दबाव में आकर उक्त पट्टा निरस्त करने का प्रस्ताव बना कर तहसीलदार भीम को प्रदान कर दिया जिसे तहसीलदार भीम द्वारा निगराकार की साक्ष्य की जिरह के दौरान न्यायालय में प्रतिपरीक्षण के दौरान दिनांक 17.02.2020 को प्रस्तुत किया था जिस पर निगराकार को उक्त पट्टा निरस्त करने के प्रस्ताव की प्रथम बार जानकारी हुई। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 18.09.2019 को पारित प्रस्ताव बाबत् निगराकार का पट्टा निरस्त करने हेतु को अपास्त फरमाया जाकर निगराकार का पट्टा बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। ग्राम पंचायत भीम से पट्टा पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 01 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। तथा अप्रार्थी 02 संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बालातो की गुआर की अन्दर हल्का आबादी में निगराकार के पक्ष में तत्कालीन ग्राम पंचायत भीम द्वारा एक आबादी भुखण्ड का पट्टा संख्या 86 दिनांक 01.06.2017 को जारी किया गया था जिसका पंजियन कार्यालय उप पंजियक भीम के यहाँ पर दिनांक 12.10.2017 को किया गया है। उक्त पट्टे को तत्कालीन ग्राम पंचायत भीम द्वारा निगराकार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगेर ही बाले बाले ही तहसीलदार भीम के आदेश की पालना कर दिनांक 18.09.2019 को निरस्त करने का प्रस्ताव संख्या 07 पारित कर उक्त पट्टे को निरस्त किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.09.2019 को पारित किया गया उक्त प्रस्ताव न केवल विधि के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पारित करने से पूर्व निगराकार को अपना पक्ष रखने का एवं सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया है। निगराकार को सुने बगेर ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो विधि अनुसार अपास्त होने योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 18.09.2019 को पारित प्रस्ताव बाबत् निगराकार का पट्टा निरस्त करने हेतु को अपास्त फरमाया जाकर निगराकार का पट्टा बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा तहसीलदार भीम के आदेश की पालना कर दिनांक 18.09.2019 को निरस्त करने का प्रस्ताव संख्या 07 पारित कर उक्त पट्टे को निरस्त किया गया। जो विधिसम्मत है। अतः निगराकार प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया तथा पत्रावली व ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत भीम द्वारा श्री दीपक चौहान को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे में पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 01.06.2017 की पालना में उक्त पट्टा जारी करने का उल्लेख हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) मे **"जहां व्यक्ति आबादी भूमि मे पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक है उन्हे निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जा सकता है राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2010 व 01.01.2013 के अनुसार आबादी भूमि मे पुराने गृहो का पट्टा देने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना एवं पुराने गृह का विद्यमान होना आवश्यक है"** ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली के अवलोकन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा संधारित आज्ञाओं की सूची मे न तो दिनांक अंकित है और न ही पंचायत की बैठक की दिनांक का अंकन किया गया है। विचाराधीन पट्टे में दिनांक 01.06.2017 को ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 01.06.2017 में संकल्प संख्या 1 की अनुपालना में पट्टा जारी करना बताया जबकि पत्रावली में न तो ऐसी कोई कार्यवाही विवरण में, न ही आज्ञा सूची में इसका कोई उल्लेख हैं। प्रार्थी द्वारा पट्टे के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र स्टाम्प पर नहीं है, न ही नोटरी से सत्यापित करवाया गया है। पत्रावली में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड के 30 वर्ष/50 वर्ष पुराने गृह के निर्मित होने बाबत कोई साक्ष्य अंकित नही किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध आपत्ति आव्हान पत्र में भूमि के विवरण के कॉलम मे क्षैत्रफल का कोई अंकन नहीं किया गया, न ही भूखण्ड के पडौस की अवस्थिति बताई गई। आपत्ति आव्हान पत्र कब जारी किया गया उसकी कोई दिनांक अंकित नहीं की गयी। और उसके चस्पांगी एवं किस माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया गया। इस बाबत भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमावली में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम पंचायत भीम के ग्राम सभा रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अनुसार पट्टे में वर्णित भूमि राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित होने से तहसीलदार भीम के आदेश की पालना कर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे को दिनांक 18.09.2019 को निरस्त करने का प्रस्ताव संख्या 07 पारित कर उक्त पट्टे को निरस्त किया गया।

न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020 निगरानी याचिका के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 01.06.2017 को ही श्री गुरूचरणसिंह के परिवार के सदस्य पुत्र 1. दीपक चौहान पिता

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गुरूचरणसिंह रावत, 2. मुकेशसिंह पिता गुरूचरणसिंह रावत, 3. अंकितसिंह पिता गुरूचरणसिंह रावत व पत्नि 4. प्रेमकंवर पत्नि गुरूचरणसिंह रावत के पक्ष में आबादी भूमि के पट्टे जारी किये गये। जिससे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के दुरूपयोग होना प्रतीत होता है।

जहां तक पट्टे की वैद्यता के गुणावगुण का प्रश्न है, ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 में विहीत की गई प्रक्रिया की पालना नही की गई, विधिवत आपत्ति आमंत्रण करके ग्राम पंचायत की कोरम में इस बाबत निर्णय नही किया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य था।

उपरोक्त विवेचन के आधार न्यायालय का निष्कर्ष है कि चुंकि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 में विहीत की गई प्रक्रिया की पालना नही की गई। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य था। एवं ग्राम पंचायत भीम द्वारा वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित होने से तहसीलदार भीम के आदेश की पालना कर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे को दिनांक 18.09.2019 को निरस्त करने का ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 07 पारित कर उक्त पट्टे को निरस्त किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं एवं ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 18.09.2019 को पारित पट्टा निरस्तीकरण आदेश यथावत रखा जाता है। ग्राम पंचायत भीम को मूल पट्टा पत्रावली मय निर्णय की प्रति के लौटायी जावे।

12/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)